

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प.....नागाल साहिब

पीठासीन अधिकारी:- बलवन्तसिंह लिग्री, आरएएस

उनवान

जमशेधन बनाम श्रीराम

श बाबत श्रीराम दुबली vs श्रीराम - RTA Act 1955

कदमा नम्बर :- 280/10-11-2015

नेर्णय दिनांक:- 22.6.2016

वादी की ओर से जमशेधन की व प्रतिवादी की ओर से श्रीराम की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख..... को बलवन्तसिंह लिग्री, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

विषयगत आ.व. नं. 8 & 9 शक्ति पत्र श्रीराम दुबली कोटकासिम (जिला अलवर राज. के राजस्व विभाग जमशेधन सं. 2068-2071 श्री राजाराम बिक्रीदार को जमशेधन पर जमशेधन पुत्र बलवन्त सिंह दुबली करने के आदेश दिये जाते हैं तदनुसार दुबली का जमशेधन दराभय किया जावे पत्र (व.नं) नम्बर से कम होकर अदालत में दाखिल दफ्तार में दाखिल किया जाये कोर्ट के अधिकार्य जाकर चुनाया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(बलवन्तसिंह लिग्री)  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,कोटकासिम  
कैम्प कोर्ट नागाल साहिब

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ....रुपयों पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			

जयकिशन  
Identified  
Damm

22/6  
16

आजकल देश में कर्म को रोजगार का एक रूप - 2016 में (पुनर्गठन) प्रारंभ व उसके वकील उपस्थित। सुभाषाया परिकार न बख्त आदेश का। पत्रावली के रिपोर्ट का अर्थव्यवस्था किम्वं तथा शुभाचर (अर्थव्यवस्था) कायदा, इतिहास, वारिसियत व संपत्ति के पुनर्गठन से पक्षी का नाम जयकिशन बख्त है। नबख्त परिकार नबख्त में ऐसा कार्य नबख्त वकील नहीं है। किम्वं से पक्षी के नाम सम्बन्ध किम्वं जागे पर कार्य (नबख्त) आर: पक्षी का वकील (किम्वं) किम्वं नबख्त। वकील तथा मित्रादि (वकील) 2019 में वकील राजाराम किम्वं का जलमजद किम्वं जाक (जयकिशन) पुत्र बख्त वकील किम्वं जाने के आदेश दिने जाते हैं। पत्रावली नबख्त के कर्मकार (वकील) का वकील (वकील) का नबख्त किम्वं कर्म को रोजगार, किम्वं तथा नबख्त आदेश परिकार (उपस्थित)।

जय किशन अधिकारी  
नबख्त (बख्त)